Popularisation of New Technique for operation of Cataract

3287. SHRI LAKKHI RAM AGARWAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) approximate number of persons lost their eye-sight during the last three years, year-wise due to faulty operations or non-operation of cataract;

(b) whether in a recently held All India Eye Specialists Conference, a new technique (Faco Emulcific treatment) has been discussed for operation of the disease; and

(c) whether Government propose to popularise the new technique for successful operation of the disease; and if not, reasons therefor;

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) No such data is maintained at the Central level.

(b) Yes, Sir.

(c) This technique is relatively difficult as compared to conventional cataract surgery and has a long learning curve for the surgeon. The recurring cost for maintaining the machine is also very high. This technique is not used at present for high volume srugery. It should be limited to those who demand early visual rehabilitation and can afford the cost in the hospitals where the phacoemulsification technique has been established.

दिल्ली में सांप के काटने के मामले

3288. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष सांप के काटने के कितने मामले हुए:

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(ग) दिल्ली में कितने सरकारी अस्पतालों में सांप के काटने के इलाज का प्रबन्ध है; और

(घ) जिन अस्पतालों में इस समय इस संबंध में इलाज का प्रबन्ध नहीं है, वहां प्रबन्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान अस्पतालों का मिली सूचना के अनुसार सर्पदंश और उनसे हुई मौतों की संख्या नीचे दर्शायी गई है।

	19941	1995	1996
रोगी	130	129	136
मौतें	1	7	2

(घ) सभी सरकारी केन्द्रीय अस्पतालों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सामान्य अस्पतालों एवे औषधालयों में सर्पदंश के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध है।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Launching of Anti-Malaria Drug "ARTEETHER" to Control Malaria

3289. SHRI VED PRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Central Drug Research Institute has plans to launch an anti-Malaria drug "Artcethcr" to control Malaria;

(b) whether this drug in an allopathic, ayurvedic or homoeopathic formulation;

(c) how long field trials have been taken and what was the sample size of population on which such trials were taken;

(d) whether Government have conducted any laboratory tests prior to its launch and the side affects of the drug, if any; and

(e) how much will be the cost to be paid by the patients for a full course?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) yes Sir.

(b) Arteether is not a homoeopathic or ayurvedic drug. The formulation belongs to the modern medicine group.

(c) The Central Drug Research Institute, Lucknow generated pre-dinical data on Arteether in 1988; and conducted phase-I and Phase-II studies upto 1994. Phase-Ill multicentric field trial was initiated in August, 1995 and completed in April, 1996. 478 patients of p.falciparum malaria were included in the said study.

(d) Arteether was tested by the Central Drug Laboratory Calcutta prior to its approval. Telerance to Arteetlier Injection was good in all the cases and no significant adverse drug reaction was encountered during the trial.

(e) The drug not been marketed in the country.

जनसंख्या की बढ़ती हुई दर को ध्यान में रखते हुए परिवार कल्याण के लिए प्रोत्साहन

3290. **श्रीमती मालती शर्मा**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार तथा संघशासित क्षेत्र वार जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है; और

(ख) छोटे परिवार के पोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) वर्ष 1995 की नवीनतम नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की मौजूदा दर को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) (I) बन्धीकरण के स्वीकार कर्ताओं को मजदूरी की हानि के लिए नगद क्षतिपूर्ति।

(II) उन सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष वेतनवृद्धि और गृहनिर्माण अग्रिम पर ब्याज में छूट जो 3 अथवा कम बच्चों के ब्द बन्धीकरण कराते है।

विवरण

1995 के लिए जनसंख्या की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्राकृतिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)

क्रमांक रज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राकृतिक वृद्धि (प्रतिशत में) 1995 (अनन्तिम)
भारत	1.93
बड़े राज्य	
आंध्र प्रदेश	1.57
असम	1.97
बिहार	2.16
गुजरात	1.91
हरियाणा	2.20
कर्नाटक	1.66
केरल	1.17
मध्य प्रदेश	2.19
महाराष्ट्र	1.71
उड़ीसा	1.69
पंजाब	1.74
राजस्थान	2.41
तमिलनाडु	1.23
उत्तर प्रदेश	2.43
पश्चिम बंगाल	1.59
अन्य राज्य	
अरुणाचल प्रदेश	1.78
गोवा	7.00
हिमाचल प्रदेश	1.66
जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध
मणिपुर	1.36
मेघालय	2.00
नागालैंड	अनुपलब्ध
सिक्किम	1.56
त्रिपुरा	1.11
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान व निकोवार द्धीप समूह	1.30
चंडीगढ़	1.34
दादरा व नागर हवेली	2.15
दमण व दीप	1.38